



REO-178

**जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०**

क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.प्र.पीपी एण्ड एम/फा०/प्रे० 300)

जोधपुर, दिनांक 5-3-10

आदेश

विषय :- फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई के लिये प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन देने की योजना में 11 केवी लाईन व सब स्टेशन की लागत के संबंध में।

निगम द्वारा जारी आदेश संख्या जोविनिनि/प्र नि/अनु-पीपीएण्डएम/फा./प्रे.स. 2648 दिनांक 11.01.2010 (आर.ई.ओ.- 5) के तहत फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई के लिये प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन देने की योजना में विद्युत कनेक्शन जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 2 के तहत उक्त कनेक्शन जारी करने के लिए खींची जाने वाली 11 के.वी. लाईन एवं 11/0.4 के.वी. सबस्टेशन की संपूर्ण लागत तथा सर्विस कनेक्शन चार्जज आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे। इस संबंध में तीनों विद्युत वितरण निगमों में समानता रखने की दृष्टि से वितरण समान मंच की बैठक दिनांक 11.1.10 में लिए गए निर्णयानुसार उक्त कनेक्शनों के लिए खींची जाने वाली 11 के.वी. लाईन एवं 11/0.4 के.वी. सबस्टेशन की लागत आवेदक से निम्नानुसार ली जावेगी:-

1. लाईन चार्जज :- लाईन चार्जज रुपये 100/- प्रति मीटर + 2000 रुपये प्रति पोल।


(यदि 120 मीटर स्तंभान पर 2 पोल लगते हैं तो चार्जज रुपये 12000 + 4000 = 16000 रुपये)

2. ट्रांसफार्मर- सब स्टेशन चार्जज :- ट्रांसफार्मर-सब स्टेशन की कीमत एवं भार के अनुसार

ट्रांसफार्मर निम्नानुसार ली जायेगे :-

- | | |
|--|----------------|
| (a) 7.5 एचपी तक के कनेक्शन के लिये | रुपये 80000/- |
| (b) 7.5 एचपी से ज्यादा और 20 एचपी तक के कनेक्शन के लिये | रुपये 94000/- |
| (c) 20 एचपी से अधिक और 32 एचपी तक के कनेक्शन के लिये | रुपये 140000/- |
| (d) 32 एचपी से अधिक और 50 एचपी तक के कनेक्शन के लिये | रुपये 155000/- |
| (e) 50 एचपी से अधिक और 60 एचपी तक के कनेक्शन के लिये | रुपये 180000/- |
| (f) 60 एचपी से अधिक के कनेक्शन एचटी लाईन पर दिये जायेगे। | |

सब स्टेशन कृषि कनेक्शन आवेदक द्वारा लगाया जावेगा।


5/3/2010
{एम.एल.त्रिपाठी}
उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।